RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

D.B. Criminal Appeal No. 634/2017

Babu Lal S/o Dalla Balai, R/o Bemali, Police Station Kareda, District Bhilwara. (At Persent Lodged In District Jail, Bhilwara)

----Appellant

Versus

The State of Rajasthan

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Connected With

D.B. Criminal Appeal No. 465/2017

Smt. Rukmani W/o Babu Lal Balai, R/o Bemali, Police Station Kareda, District, Bhilwara.

----Appellant

Versus

The State of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s) : Ms. Adwaita Sharma, Amicus Curiae
For Respondent(s) : Mr. Rajesh Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR
HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Judgment

1.	Date of conclusion of arguments	24.02.2026
2.	Date on which the judgment was reserved	24.02.2026
3.	Whether the full judgment or only operative part is pronounced	Full Judgment
4.	Date of Pronouncement	07.03.2026

BY THE COURT: (Per Chandra Shekhar Sharma, J)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन ये अपीलें अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण ने विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण), भीलवाड़ा के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 85/2012; राजस्थान राज्य बनाम बाबूलाल व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थिनी–अभियुक्ता रूकमणी को धारा 460, 380, 302 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के आरोप में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया एवं अपीलार्थी–अभियुक्त बाबूलाल को धारा 460, 380, 302 व 201 भारतीय दंड संहिता एवं अपीलार्थिनी–अभियुक्ता रूकमणी को 201 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर निम्नप्रकार से दंडित किया :–

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अपीलार्थी–अभियुक्त बाबूलाल		
क्र.सं.	**धारा**	**दंडादेश**
01.	302 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
02.	460 भारतीय दंड संहिता	दस वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
03.	380 भारतीय दंड संहिता	सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
04.	201 भारतीय दंड संहिता	तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
अपीलार्थिनी–अभियुक्ता रूकमणी		
01.	201 भारतीय दंड संहिता	तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

02. इस अपील के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी लादूलाल ने दिनांक 14.07.2012 को थानाधिकारी, पुलिस थाना

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

करेड़ा के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी.13) इस आशय की प्रस्तुत की कि उसकी बुआ श्रीमती लेहरी, जिनके पति गणेशजी का वर्ष 1995 में निधन हो चुका है, गांव में अकेली रहती थीं। उनके कोई संतान नहीं थी। पड़ोसी बाबू ने धोखे से विश्वास में लेकर उनके सोने–चांदी के आभूषण प्राप्त कर मकान छुड़वाने के नाम पर झूठे दस्तावेज तैयार करवा लिए। 02 जुलाई को लेहरी बाई ने परिवादी को इस धोखाधड़ी की जानकारी दी और 06 जुलाई को भीलवाड़ा आकर मकान संबंधी लिखापढ़ी करने की बात कही, परंतु वह वहां नहीं पहुंचीं। तलाश करने पर वे कहीं नहीं मिलीं तथा बाबू और उसकी पत्नी भी घर से गायब पाए गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। बाबू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसकी बुआ का अपहरण कर कहीं छिपा दिया है। अतः प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.... इत्यादि।

03. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना करेड़ा, जिला भीलवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/2012 पंजीबद्ध की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201, 460, 380 व 34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, मांडल के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से कमिट होकर यह प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय में प्राप्त हुआ।

04. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बहस चार्ज सुनकर अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण को धारा 302, 201, 460 व 380 भारतीय दंड संहिता में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए, अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर, अस्वीकार किया और अन्वीक्षा की मांग की।

05. दौराने अन्वीक्षा आरोपों की पुष्टि में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहान परीक्षित हुए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.37 दस्तावेज प्रदर्शित हुए।

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

06. तत्पश्चात् धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्तगण का परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया और यह व्यक्त किया कि गवाहान उनके समाज के दूर के रिश्तेदार हैं, जो मृतक लेहरी की जमीन व मकान हड़प करना चाहते थे। उन लोगों ने इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया और पंचायत बुलाकर इन पर झूठे आरोप लगा दिए। इन्होंने लेहरी को नहीं मारा। चांदी के पिता छोगा लाल की जमीन व मकान इन्होंने खरीदा था। लेहरी की जमीन व मकान को चांदी अपना हक जताकर लेना चाहती है, जबकि लेहरी ने अपना मकान इन्हें बेच दिया था। चांदी व गांव का रिश्तेदार बंशीलाल, जो कि लेहरी से चोरी–छिपे मिलते थे, इन लोगों ने प्लानिंग कर इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर, दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी.01 से प्रदर्श डी.04 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपर्युक्तानुसार निर्णय व दण्डादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण ने ये अपीलें प्रस्तुत की हैं।

07. हमने अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्तागण एवं योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी, आक्षेपित निर्णय–दण्डादेश व अभिलेख का अवलोकन किया।

08. अपीलार्थी बाबूलाल के संदर्भ में उसके योग्य अधिवक्ता ने तर्क दिए कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है परन्तु उसी अनुरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला प्रमाणित नहीं है। मृतका लेहरी बाई की मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है, जो कथित बेचान इकरारनामा संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया है। वह मृतका लेहरी बाई की मृत्यु के लगभग 7–8 माह पूर्व का दस्तावेज है इस प्रकार यह दस्तावेज भी घटना से तुरंत पूर्व का नहीं है। गवाहों ने भी इस संबंध में साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया है कि यह इकरारनामा राजी खुशी लिखा गया था और साक्ष्य से यह भी स्पष्ट

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

है कि अभियुक्त बाबूलाल और उसकी पत्नी दोनों ही मृतका लेहरी बाई का ख्याल रखते हुए उसकी देखरेख व सेवा भी करते थे। इस प्रकार अभिलेख पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका लेहरी से कोई रंजिश रही हो, बेचान इकरारनामा के गवाह भी स्वेच्छा से इसे किया जाना साक्ष्य में बताते हैं। अभियुक्त बाबूलाल की निशानदेही से जो मृतका लेहरी बाई की लाश की बरामदगी बताई है, इस संबंध में भी अनुसंधान अधिकारी का कहना है कि उसके द्वारा वीडियोग्राफी करवाई गई थी, जिसकी सीडी भी न्यायालय में पेश की गई थी, लेकिन इस सीडी को चलाकर देखे जाने पर मृतका लेहरी बाई का शव बोरे में से निकालने के संबंध में कोई दृश्य नहीं है, जो मृतका की जेवरात की बरामदगी बताई गई है उन जेवरात की अनुसंधान के दौरान पहचान भी नहीं करवाई गई थी। गवाहों के आपसी कथनों में भी गंभीर विरोधाभास है। मृतका लेहरी बाई की मृत्यु किस कारण से हुई, इसका भी उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है, इस प्रकार वास्तविक रूप से मृत्यु का कारण अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया है। वास्तव में गवाह चांदी एवं बंसीलाल अभियुक्त से रंजिश रखते हैं और वे स्वयं भी मृतका लेहरी बाई के पास आते जाते रहते थे और अभियुक्त को इस प्रकरण में उनके द्वारा झूठा फंसाया गया है। इस प्रकार उपयुक्त संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन और विश्लेषण नहीं किए जाने से अपीलार्थी बाबूलाल की जो दोषसिद्धि की गई है, वह न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार कर दोषसिद्ध अपराध में उसे दोषमुक्त करने की प्रार्थना की।

09. अपीलार्थिनी रूकमणी के संदर्भ में भी उनके योग्य अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उसे अपराध अंतर्गत धारा 302, 380, 460 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब अपीलार्थिनी रूकमणी

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

बाई सहअभियुक्त बाबूलाल के साथ हत्या जैसे गंभीर अपराध में शरीक नहीं थी, तो उस स्थिति में अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराध की साक्ष्य को मिटाने का अपराध भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता था, जो भी बरामदगी बताई गई है वह प्रकरण के सहअभियुक्त बाबूलाल की सूचना पर बताई गई है। इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थिनी रूकमणी बाई को मृतका लेहरी बाई की लाश को छिपाते हुए अथवा सबूत को मिटाते हुए देखा गया था, अतः इस स्थिति में फिर भी जो उसकी जो दोषसिद्धि अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता में की गई थी वह न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थिनी रूकमणी को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

10. उक्त तर्कों के खंडन में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिए गए कि इस प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उससे यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम मृतका लेहरी बाई जो कि अकेली निवास करती थी एवं अस्सी वर्षीय वृद्ध महिला थी, उसके घर पर नहीं पाए जाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसके पश्चात् गांव वालों को यह शक हुआ था कि अपीलार्थीगण जो कि उसी के पड़ौस में रहते थे और अंदर से दोनों मकानों की गुवाड़ी एक थी, जिनका मृतका के पास आना–जाना भी था। चूंकि मृतका के कोई संतान नहीं थी। इस स्थिति में अभियुक्त द्वारा जो धोखे में रखकर उसके जेवरात भी लिए गए और एक इकरारनामा भी धोखे में रखकर लिखवा लिया गया था, जिसका बाद में पता चलने पर मृतका लेहरी बाई द्वारा गवाहों के समक्ष बताया भी गया था। इस प्रकार हत्या के पीछे के कारण भी स्पष्ट हुआ है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में अभियुक्त बाबूलाल की सूचना के आधार पर ही मृतका की लाश की बरामदगी की गई थी। चूंकि लगभग 09 दिन पश्चात् मृतका की लाश मिली थी। उस स्थिति में, गवाह पी.डब्ल्यु.07 डॉ. नरेश वर्मा के साक्ष्य के अनुसार शव की स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे संपूर्ण रूप से

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

चोटों के संदर्भ में राय दी जा सके। इसी कारण से पुनः प्रदर्श पी.28 के मार्फत राय भी मांगी गई थी। तब यह स्पष्ट हुआ था कि मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम से 5 से 10 दिन पूर्व हुई थी और उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी, इस चोट की वजह से मृतका की मृत्यु कारित होना संभव भी था, अतः इस स्टेज पर बचाव पक्ष का यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि मृतका की मृत्यु के संदर्भ में अभिलेख पर कोई राय नहीं आई हो। मृतका की लाश की बरामदगी करते समय वीडियोग्राफी करने की भी अनुसंधान के दौरान आवश्यकता नहीं थी यदि कथित सीडी में कोई दृश्य नहीं आया है, तो इसी के आधार पर लाश की बरामदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता, जबकि लगभग अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने पुलिस के साथ मृतका की लाश को स्वयं मिट्टी में से निकालकर बरामद कराया था, जिसे कि उसी के द्वारा छिपाया गया था और इस कृत्य में सहअभियुक्ता रूकमणी का भी सहयोग था। जो मृतका के जेवरात थे वे भी अभियुक्त बाबूलाल की सूचना के आधार पर बरामद किए गए थे जिसे अनुसंधान के दौरान गवाहों द्वारा मृतका के होना पहचाना भी गया था, इस प्रकार अभिलेख पर आई उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण कि जिन अपराधों में दोषसिद्धि की गई है, वह न्यायोचित होने से उक्त दोनों ही अपीलें खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

11. हमने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष का यह मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित नहीं होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और जहां अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहां उसका यह दायित्व होता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक श्रृंखला को उसी अनुरूप साक्ष्य से साबित किया जावे। यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की संपूर्ण श्रृंखला उसी अनुरूप अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की जाती है, तो यह संदेह से परे प्रमाणित

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

नहीं माना जा सकता कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है। अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला की कोई एक कड़ी इतनी सुदृढ़ हो, जिससे न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में सुविधा हो कि प्रत्येक अवस्था में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है, तो ही दोषसिद्धी की जा सकती है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

12. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra; AIR 1984 Supreme Court 1622** के पैरा संख्या 152 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की गई हैः–

(i) Circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established,

(ii) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused and should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(iii) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

(iv) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved and

(v) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability, the act must have been done by the accused.

13. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम भंवरलाल द्वारा एक रिपोर्ट पर प्रदर्श पी.17 दिनांक 08.07.2012 को पुलिस थाना करेड़ा में मृतका लेहरी बाई की गुमशुदगी के संबंध में दर्ज करवाई गई थी। इसके पश्चात् दिनांक 14.07.2012 को लादूलाल ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.13

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

पुलिस थाना करेड़ा में ही दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार इस रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया है कि मृतका लेहरी बाई के मकान में बाबूलाल अपने परिवार सहित रहता है एवं मृतका के नहीं मिलने से बाबूलाल पर आशंका जाहिर की गई थी। तत्पश्चात इस रिपोर्ट के आधार पर ही मुकदमा नंबर 94/2012 दर्ज किया गया था। पी.डब्ल्यु.04 धन्नालाल, पी.डब्ल्यु.08 सुवालाल, पी.डब्ल्यु.13 नैनु, पी.डब्ल्यु.14 रामचंद्र तथा पी.डब्ल्यु.15 भंवरलाल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य दी गई, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि मृतका लेहरी बाई व अभियुक्तगण अलग–अलग रहते थे, लेकिन उनके मकान के अंदर से एक–दूसरे के पास आया–जाया जा सकता था। अर्थात अंदर का रास्ता एक–दूसरे के मकान में आने–जाने के लिए शामलाती था। यह भी स्पष्ट हुआ है कि मृतका लेहरी बाई 80 वर्षीय वृद्ध महिला होकर अकेली रहा करती थी, जिसकी देखभाल अभियुक्त बाबूलाल किया करता था। हेतुक (Motive) के संदर्भ में अभियोजन पक्ष का सर्वप्रथम यही कहना है कि अभियुक्त बाबूलाल ने मृतका लेहरी बाई को धोखे में रखकर पहले उससे जेवरात प्राप्त किए, तत्पश्चात एक बेचान इकरारनामा भी लिखवा लिया और इसी जायदाद को प्राप्त करने की नीयत से मृतका की गोपनीय ढंग से हत्या किए जाने का कथन किया गया है। इस संदर्भ में गवाह पी.डब्ल्यु.01 भीमा का साक्ष्य में यह कहना है कि उसके पास जब बाबूलाल आया तो उसने इससे कहा था कि यह गोदनामा की लिखावट है और वह अनपढ़ है, उसे पता नहीं कि वह क्या कागज था। गवाह पी.डब्ल्यु.02 बंशी ने अपनी साक्ष्य में बताया कि लेहरी की कोई संतान नहीं थी। लेहरी ने अपने देवर छोगा को गोद रखा था। छोगा ने अपने हिस्से का मकान व गुवाड़ी बाबूलाल को बेच दिया था। आधे हिस्से में लेहरी रह रही थी, बीच में दीवार नहीं थी। बाबूलाल ने लेहरी की गुवाड़ी का स्टाम्प लिखवा लिया; कहा कि वह पूरी देखभाल करेगा। बाबूलाल ने कहा कि अपने गहने उसे दे दे; मांगीलाल के यहाँ जो गुवाड़ी गिरवी रखी है, उसे छुड़वा लेता है। लेहरी से दस–पंद्रह हजार रुपये और ले लिए और गुवाड़ी भी नहीं छुड़वाई। लेहरी इस

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

गवाह के पास आई थी और उसने कहा कि उसके साथ धोखा हो गया है। लेहरी ने उसके सामने चांदी से कहा था कि गुवाड़ी और रकम के बदले सारे गहने उसे दे देगी। उसी रात लेहरी मर गई और बेचान इकरारनामा जरिए प्रदर्श पी.04 बरामद होना कथित किया गया। यह भी कहा कि लेहरी की लाश 09 दिन बाद मिली थी। प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया कि लेहरी ने इसे बताया था कि बाबूलाल ने उसके गहने मांगे हैं। पी.डब्ल्यु.10 भंवरलाल, यद्यपि पक्षद्रोही रहा, लेकिन साक्ष्य के दौरान इसने कहा कि बाबूलाल इसके घर पर आया और उसने कहा कि लेहरी बाई की गुवाड़ी उसने 50,000 रुपये में खरीद ली है। जो स्टाम्प लेकर आया था, उस पर बाबूलाल ने इसे कहा कि दूसरे गाँव वालों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और वह भी इस पर हस्ताक्षर कर दे। उसने स्टाम्प को पढ़ा नहीं और हस्ताक्षर कर दिए। दूसरे ही दिन उसे लेहरी बाई मिली; इस गवाह ने उसको कहा कि बाबूलाल ने स्टाम्प पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए हैं। लेहरी बाई ने कहा कि उसने कोई गुवाड़ी नहीं बेची; बाबूलाल ने स्टाम्प लाकर दिया था और उस पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए थे। 4–5 दिन बाद इसने सुना कि लेहरी मर गई है। प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया कि लेहरी बाई इसे 2–3 दिन बाद मिल गई थी, तभी पता चला कि कोई गुवाड़ी नहीं बेची गई थी। गवाह पी.डब्ल्यु.11 लादूलाल ने भी अपने साक्ष्य में कहा कि लेहरी की मृत्यु से पहले वह उससे मिलने गया था, तब उसने बताया कि बाबूलाल ने उसकी कड़ियाँ व नथ ले ली है; कहा कि उसकी गुवाड़ी जो गिरवी रखी है, उसे छुड़वाना है। लेहरी ने कड़ियाँ व नथ गुवाड़ी छुड़वाने के लिए दिए थे। फिर बाबूलाल स्टाम्प लाया और लेहरी से कहा कि इस पर अंगूठा लगा दे। बाबूलाल ने फर्जी स्टाम्प मंडवाया था। बाबूलाल ने 2–4 मौतबिरान के साइन करवाकर घर अपने नाम करवा लिया। उसके 4–5 दिन बाद लेहरी गुम हो गई। बाबूलाल ने जमीन अपने नाम करने के लिए लेहरी को मारा था। जब लेहरी जिंदा थी, तभी स्टाम्प के संबंध में इसे पता चल गया था, क्योंकि उसने बताया था कि बाबूलाल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

भी कहा कि स्टाम्प फर्जी होने का पता उन्हें लेहरी के मरने के बाद चला। पी.डब्ल्यु.12 चांदी, जिसके मृतका लेहरी बाई बड़ी माँ लगती थी, इसने भी साक्ष्य के दौरान कहा कि वह लेहरी के मरने से करीब 6 महीने उससे मिलने गई थी, तब लेहरी बाई ने बताया कि नथ, गले में आंचली व कड़ियाँ उसने बाबूलाल को दे दी हैं। इसने पूछा कि क्यों दीं, तो उसने बताया कि उसकी गुवाड़ी गिरवी है, जिसे छुड़वाने के लिए दी थीं। उसने यह भी बताया कि बाबूलाल ने झूठा स्टाम्प लगाया और उसके धोखे से अंगूठा लगवा लिया। गाँव के 2–4 लोगों से भी अंगूठे लगवा लिए, यह कहकर कि गुवाड़ी छुड़वा देगा। लेहरी ने इसे बताया कि जब उसने बाबूलाल से गुवाड़ी छुड़वाने की बात की तो उसने जान से मारने की धमकी दी। पी.डब्ल्यु.14 रामचंद्र ने भी साक्ष्य में कहा कि बाबूलाल लेहरी को लेकर इसके पास आया था। लेहरी ने कहा कि बाबूलाल उसे रोटी आराम से दे रहा है। यह उसका गवाह है, यदि वह इसे कोई दुख देगा या कोई गलत काम करेगा तो वह इसके पास आ जाएगी। लेहरी ने बाबूलाल को मकान नहीं बेचा था। लेहरी के कोई संतान नहीं थी। लेहरी ने घर गुवाड़ी बाबूलाल को बेचने की नहीं कही थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान इसने कहा कि प्रदर्श डी.01 पर फोटो लग रहा था या नहीं, इसे जानकारी नहीं है। पी.डब्ल्यु.15 भंवरलाल के अनुसार, लेहरी उसकी बड़ी नानी लगती थी, वह यह कहा करती थी कि जो उसकी सेवा करेगा, उसे अपनी जमीन–जायदाद देगी। इसी ने सर्वप्रथम गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी.17 दर्ज करवाई थी। यह भी कहा कि बेचाननामा प्रदर्श डी.01 बाबूलाल के घर से बरामद हुआ था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका लेहरी बाई, जो अकेली रहती थी और जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसके पास ही अलग हिस्से में अभियुक्त बाबूलाल परिवार सहित रहता था और उसकी देखभाल भी करता था। इस स्थिति में अभियुक्त बाबूलाल ने मृतका लेहरी को यह विश्वास दिलाया कि उसकी गुवाड़ी गिरवी रखी हुई है, जिसे छुड़वाने के लिए कुछ जेवरात लिए। तत्पश्चात यह कहकर कि अभी रकम बकाया है, एक स्टाम्प पर गोदनामा

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:22 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

बताकर अंगूठा भी लगवा लिया। स्वयं मृतका लेहरी बाई ने मृत्यु से पूर्व उक्त सभी बातें गवाहों के समक्ष भी कही थीं। जिन गवाहों ने स्टाम्प पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठा–निशानी की, उनका भी कहना है कि उन्होंने बिना पढ़े विश्वास में हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उस पर क्या लिखा था। मृतका लेहरी बाई कहा करती थी कि उसने अपनी गुवाड़ी नहीं बेची है। बाद में पता चला कि धोखे में रखकर अभियुक्त बाबूलाल ने बेचाननामा के स्टाम्प पर उसके अंगुष्ठ निशानी करवा लिए थे। अतः इस साक्ष्य की स्थिति में मृतका लेहरी बाई की मृत्यु कारित करने के संबंध में हेतुक (Motive) स्पष्ट होना प्रकट होता है।

14. प्रदर्श डी.02 दस्तावेज के अनुसार सालवी समाज की ओर से भी दिनांक 09.07.2012 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लेहरी के लापता होने पर बाबूलाल पर संदेह व्यक्त किया गया था। इस प्रकार जब मृतका लेहरी का पता नहीं चला और अभियुक्त बाबूलाल से पूछताछ की गई, तब उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही मृतका लेहरी की लाश बरामद की गई। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला में यह एक महत्वपूर्ण स्थिति थी कि अभियुक्त बाबूलाल की निशानदेही से ही मृतका लेहरी बाई की लाश बरामद हुई थी, जिसे उसके द्वारा हत्या करने के पश्चात् एक नोहरे में मिट्टी के ढेर के नीचे दबाकर छिपाया गया था। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.19 नेमीचंद की साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त बाबूलाल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जो सूचना (प्रदर्श–23) दी गई थी, उसके अनुसरण में ही प्रदर्श पी.01 के जरिए मृतका लेहरी की लाश बरामद की गई थी। लाश की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों में से पी.डब्ल्यु.01 भीमा का भी कहना है कि बाबूलाल ने पुलिस हिरासत में रहते हुए लाश को बताया था, जो कि चैनसुख जी राजमल जी के नोहरे में मिली थी। उस नोहरे में कोई आता–जाता नहीं है, वह वीरान पड़ा है। लाश को बोरे में डालकर खड्ढ़े में छिपा रखा था। बोरी का मुँह बांधा हुआ था। नौ दिन बाद बरामदगी करवाई गई थी। लाश से

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

बदबू आ रही थी। उस समय पूरा गाँव इकट्ठा था। प्रतिपरीक्षण में इसने स्पष्ट किया कि जब लाश को निकाला गया तब उसने देखा था। लाश को बाबूलाल पुलिसवालों के सामने निकालकर लाया था। पी.डब्ल्यु.02 बंशी का भी कहना है कि बाबूलाल ने ही लाश बरामद करवाई थी। फर्द बरामदगी लाश (प्रदर्श पी.01) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका (प्रदर्श पी.02) पर भी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। पी.डब्ल्यु.03 मोतीराम ने भी अपने साक्ष्य में कहा कि 09 दिन बाद पुलिस ने बाबूलाल की जगह बताए अनुसार लाश निकाली थी। पी.डब्ल्यु.05 गिरधारी ने भी कहा कि राजमल जी बोहरा के नोहरे से बाबूलाल ने पुलिस के सामने लेहरी की लाश निकाली थी। उस समय बंशीलाल, भीमाजी, शिवजी और गाँव के 10–20 अन्य लोग और थे। पी.डब्ल्यु.08 सुवालाल की साक्ष्य के अनुसार भी मृतका लेहरी की लाश बाबूलाल ने जहाँ से बरामद करवाई थी, उस स्थान का नक्शा मौका उसके सामने बनाया गया था और फर्द बरामदगी स्थल (प्रदर्श पी.02) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। पी.डब्ल्यु.09 दल्ला ने भी कहा कि उसने लाश को देखा था, जो बोरे में रखी हुई थी। लाश को बाबूलाल ने बरामद करवाया था, जो बोरी से बाहर निकाली थी। लाश धूल से भरी हुई थी। पी.डब्ल्यु.11 लादूलाल, पी.डब्ल्यु.12 चांदी, पी.डब्ल्यु.14 रामचंद्र तथा पी.डब्ल्यु.15 भंवरलाल की साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि स्वयं अभियुक्त बाबूलाल द्वारा पुलिस के समक्ष लाश की बरामदगी करवाई गई थी। बरामदगी के समय उपस्थित गवाहों के साथ–साथ पी.डब्ल्यु.12 चांदी ने भी मृतका लेहरी बाई की लाश को पहचाना था। यद्यपि साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि पी.डब्ल्यु.18 कैलाश के अनुसार लाश बरामद करवाते समय उसकी वीडियोग्राफी की गई थी और उसकी सीडी तैयार की गई थी। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.19 नेमीचंद के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ कि जो वीडियोग्राफी करवाई गई थी, उसकी सीडी में लाश की वीडियोग्राफी दिखाई नहीं दे रही थी तथा मूल कैसेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। परंतु जहाँ स्वतंत्र गवाहों के समक्ष मृतका की लाश की बरामदगी अभियुक्त

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

बाबूलाल की सूचना के आधार पर करवाई गई हो और उस समय गाँव के काफी लोग उपस्थित रहे हों, उस स्थिति में बरामदगी की वीडियोग्राफी करवाना अनुसंधान अधिकारी के लिए अनिवार्य नहीं था। अतः केवल इसी आधार पर यह संदेह नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त बाबूलाल की सूचना के आधार पर मृतका लेहरी बाई की लाश की बरामदगी नहीं हुई हो। जो सूचना (प्रदर्श पी.23) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन अपीलार्थी–अभियुक्त बाबूलाल द्वारा दी गई थी, उस पर कोई आक्षेप भी नहीं लगाए हैं, जबकि साक्ष्य से अभियुक्त बाबूलाल द्वारा मृतका लेहरा बाई की लाश की बरामदगी साबित हुई है। इस प्रकरण में ऐसा भी नहीं है कि किसी अज्ञात स्थान से मृतका लेहरी बाई की लाश बरामद कर ली गई हो और उसके पश्चात् अभियुक्त बाबूलाल को मिथ्या रूप से लिप्त किया गया हो। यह स्वीकृत स्थिति है कि लाश किसी अज्ञात स्थान से नहीं मिली थी, बल्कि जिस नोहरे में मिट्टी के नीचे छिपाकर रखी गई थी, वह नोहरा बंद रहता था और उसमें लोगों का आना–जाना भी नहीं था। इसकी जानकारी स्वयं अभियुक्त बाबूलाल को थी, जहाँ से उसके द्वारा अपनी सूचना के आधार पर मृतका लेहरी बाई की लाश की बरामदगी गवाहों के समक्ष करवाई गई थी। इस प्रकार यदि अभियुक्त बाबूलाल द्वारा मृतका लेहरी बाई की हत्या नहीं की गई होती, तो उसे लाश किस स्थान पर है इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। अतः यह साबित होता है कि अभियुक्त बाबूलाल द्वारा ही मृतका की लाश, जिसे उसने छिपा रखा था, पुलिस एवं गवाहान के समक्ष बरामद करवाई थी।

15. इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Neelu @ Nilesh Koshti v. The State of Madhya Pradesh; Criminal Appeal No. 5357 of 2025 (2026 INSC 173)** में भी अभियुक्त पर अपराध अंतर्गत धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्धि की गई थी और प्रकरण भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें सर्वप्रथम मृतका की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् अनुसंधान के दौरान मृतका के सामान की बरामदगी के साथ–साथ अभियुक्त की सूचना पर

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

लाश की बरामदगी हुई थी और बरामदगी के वक्त लाश को पहचाना भी गया था। साथ ही हेतुक (Motive) भी प्रमाणित था, जिसकी मेडिकल साक्ष्य से भी पुष्टि हो रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में अभियुक्त की दोषसिद्धि को यथावत रखा गया था। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 22 में **Bodhraj Alias Bodha and Others vs. State of Jammu and Kashmir; (2002) 8 SCC 45** के निर्णय का हवाला देते हुए पैरा संख्या 19, 20, 21 व 23 में निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :–

> "19. The appellant was arrested on 10.08.2009, and on the same date, the Investigation Officer (P.W.23) recorded the appellant's memorandum statement under Section 27 of the Evidence Act, leading to the discovery of the dead body of deceased Archana @ Pinki from the well, near Tasaali Dhaba, near the Indore bypass Road, Indore. The Police along with Fire Brigade recovered the body from the well.
>
> 20. It is trite that Sections 25 and 26 of the Evidence Act stipulate that confession made to a Police Officer is not admissible. However, Section 27 is an exception to Sections 25 and 26 and serves as a proviso to both these sections. Section 27 of the Evidence Act reads as follows:
>
> > "27. How much of information received from accused may be proved.— Provided that, when any fact is deposed to as discovered inconsequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police-officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved."
>
> The scope and ambit of Section 27 have been examined by this Court in **Delhi Administration vs. Bal Krishan and Others.**

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

21. Elucidating on what constitutes "discovery of fact" under Section 27 of the Evidence Act, this Court in Udai Bhan vs. State of Uttar Pradesh observed as follows :

> "11. Thus it appears that Section 27 does not nullify the ban imposed by Section 26 in regard to confessions made by persons in police custody but because there is the added guarantee of truthfulness from the fact discovered the statement whether confessional or not is allowed to be given in evidence **but only that portion which distinctly relates to the discovery of the fact. A discovery of a fact includes the object found, the place from which it is produced and the knowledge of the accused as to its existence. ...."**
>
> (Emphasis supplied)

23. When the present case is examined in the light of the aforesaid principles, it is evident that the recovery of the dead body satisfies all the essential requirements of Section 27 of the Evidence Act. Pursuant to the memorandum statement recorded, while the appellant was in Police custody, the dead body of Archana @ Pinki was discovered from a well near Tasaali Dhaba, Indore Bypass Road. The body was found stuffed in a sack, as deposed by the panch witnesses who were present at the time of recovery. The recovery panchnama establishes that the recovery was made at the precise location disclosed by the appellant. As laid down in Udai Bhan (supra), the discovery of a fact includes the object found, the place from which it is produced, and the knowledge of the accused as to its existence. In the present case, the information given by the appellant while in Police custody distinctly relates to the fact discovered, namely, recovery of the dead body of the deceased concealed in a sack and thrown in a specific well. This

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

constitutes a "distinct fact" as contemplated under Section 27 of the Evidence Act, as the recovery of the body from that precise location could only have been made on the basis of information furnished by someone who had personal knowledge of its disposal. The recovery embodies the "doctrine of confirmation by subsequent events" as explained in Bodhraj (supra) —the actual discovery of the body from the exact location disclosed by the appellant is a guarantee that the information supplied by him is true. The fact discovered embraces the place from where the object was recovered (the well near Tasaali Dhaba) and the knowledge of the appellant as to its existence at that location. This information is not within public domain or capable of discovery through routine investigation. These circumstances constitute a formidable link in the chain pointing towards the culpability of the appellant.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

उक्त निर्णय के समान की ही परिस्थितियां इस प्रकरण में भी स्पष्ट होती हैं।

16. मृतका लेहरी बाई के जेवरात भी अभियुक्त बाबूलाल की सूचना के आधार पर बरामद किए जाने का कथन अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया है। इस संबंध में पी.डब्ल्यु.11 लादूलाल ने साक्ष्य के दौरान यह कहा कि वह लेहरी की मृत्यु से पहले उससे मिलने गया था, तब उसने बताया था कि बाबूलाल ने उसकी कड़ियाँ व नथ ले ली है। लेहरी के जेवरात बाबूलाल के खेत पर मिले थे, जो उसने पुलिसवालों को बताए थे। जेवरात खेत में नीम के नीचे पत्थर की दीवार के नीचे से निकालकर दिए गए थे। उस समय स्वयं के अतिरिक्त बाबूलाल, परमानंद एवं चांदी का भी मौजूद होना बताया। फर्द बरामदगी जेवरात (प्रदर्श पी.15) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। यह भी कहा कि जहाँ से जेवरात बरामद हुए, वह खेत बाबूलाल का ही है। गवाह ने यह भी कहा कि लेहरी उक्त जेवरात हमेशा पहने रहती थी और उसकी बुआ होने की वजह से

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

वह उसे संभालने जाता था। पी.डब्ल्यु. 12 चांदी ने भी कहा कि लेहरी बाई जेवर पहनती थी, परंतु वे लाश पर नहीं थे। कान के टॉप्स, ओगनिया, बोर, कड़ियाँ लाश पर नहीं थे। उक्त सभी जेवरात बाबूलाल ने अपने खेत से निकालकर पुलिस को इसके सामने दिए थे। उस समय यह भी मौजूद थी और इसने उनकी पहचान की थी। जिस स्थान से जेवर जब्त किए गए, उसकी फर्द बरामदगी (प्रदर्श पी.15) पर अपने अंगूठा निशानी होना बताया। न्यायालय के समक्ष जब कुल 7 आर्टिकल पेश किए गए तो उसने कहा कि ये सभी लेहरी बाई पहना करती थी। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि जब बाबूलाल ने अपने खेत से जेवरात की बरामदगी पुलिस को करवाई, तब इस गवाह ने वे जेवरात मृतका लेहरी के होना पहचाना भी था। पी.डब्ल्यु.16 परमानंद ने भी कहा कि बाबूलाल के खेत से नीम के पेड़ के नीचे से चांदी की दो चूड़ियाँ, एक प्लास्टिक की बगड़ी एवं एक चांदी की बोर सहित कुल 07 सामान बाबूलाल ने पुलिस को बरामद करवाए थे, जिसकी फर्द बरामदगी (प्रदर्श पी.15) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। बाबूलाल के घर से एक बेचाननामा (प्रदर्श पी.05) भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया, जिस पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्पष्ट किया कि उसने प्रदर्श पी.19 बरामदगी स्थल के नक्शेमौके पर मौके पर ही हस्ताक्षर किए थे और इस बात को भी गलत बताया कि जब्त 07 सामान/जेवरात बाबूलाल की पत्नी के हों; बल्कि वे लेहरी बाई के ही हैं। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.19 नेमीचंद की साक्ष्य से भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त बाबूलाल द्वारा गहनों की बरामदगी के संबंध में एक सूचना (प्रदर्श पी.24) दी गई थी और उसके तहत ही गवाहों के समक्ष अभियुक्त बाबूलाल द्वारा गहनों की बरामदगी करवाई गई और गवाह चांदी द्वारा मौके पर ही उन्हें लेहरी बाई के होना पहचाना गया था। प्रदर्श पी.25 के तहत चांदी की हांसली की भी बरामदगी हुई थी, जो मृतका की थी। इस प्रकार जिन जेवरातों की बरामदगी अभियुक्त बाबूलाल की सूचना पर हुई, वे मृतका लेहरी बाई के थे और अभियुक्त ने उन्हें अपने खेत से ही बरामद करवाया। ये जेवरात अभियुक्त

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

बाबूलाल के कब्जे में कैसे आए, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। स्वयं अभियुक्त बाबूलाल द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए कथनों में कहा गया कि गवाह उनके समाज के दूर के रिश्तेदार हैं, जो मृतका लेहरी की जमीन व मकान हड़प करना चाहते हैं। उन लोगों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया और पंचायत बुलाकर उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने या उसकी पत्नी ने लेहरी को नहीं मारा। चांदी के पिता छोगालाल की जमीन व मकान उसने खरीदा था। चांदी उसी जमीन व मकान पर अपना हक जताना चाहती है। चांदी व गाँव का रिश्तेदार बंशीलाल, जो लेहरी से चोरी–छिपे मिलते थे, उन लोगों ने प्लानिंग कर उसे फँसाया है। इस संदर्भ में पी.डब्ल्यु.12 चांदी एवं पी.डब्ल्यु.02 बंशीलाल से प्रतिपरीक्षण के दौरान भी विस्तृत रूप से प्रश्न नहीं पूछे गए, जिससे यदि कोई रंजिश आदि थी, तो वह स्पष्ट हो सके।

17. साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ कि मृतका लेहरी बाई के नहीं मिलने पर सर्वप्रथम गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके पश्चात् अभियुक्त बाबूलाल पर संदेह व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अनुसंधान के दौरान मृतका की लाश की बरामदगी की गई थी, तब तक लगभग 09 दिन का अंतराल हो चुका था और इस अवधि में मृतका लेहरी का शव काफी सड़–गल चुका था। बहस के दौरान अपीलार्थी बाबूलाल की ओर से उनके योग्य अधिवक्ता का यह कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में पी.डब्ल्यु.07 डॉ. नरेश वर्मा ने मुख्य परीक्षण में ही यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 14.07.2012 को थाना करेड़ा की तहरीर पर लेहरी पत्नी गणेश, उम्र 80 वर्ष, के शव का परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था और बोर्ड द्वारा मृत्यु का समय 5 से 10 दिन पूर्व अनुमानित किया गया। शव के बाह्य परीक्षण में बोर्ड द्वारा पाया गया कि शव सड़–गल चुका था तथा बहुत बदबू आ रही थी। शव के सारे ऊतक गल चुके थे एवं ढीले पड़ चुके थे। हड्डियों से मांस एवं ऊतक गिर चुके थे। लिगामेंट्स भी मुलायम पड़ चुके थे। शव का चेहरा व आँखें गल चुकी थीं एवं चेहरा देखकर पहचानना संभव नहीं

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

था। सिर के बाल गायब हो चुके थे। शव के लीवर, स्किन व किडनी गलने की स्थिति में होकर मांस का रूप ले चुके थे। ब्लैडर सूख गया था। शव के शरीर पर आई किन्हीं भी चोटों को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था। हायॉइड बोन (Hyoid bone) अंदर की ओर से टूटी हुई पाई गई थी। इसकी राय में शव की मृत्यु का कारण गला घोंटना हो सकता है, क्योंकि परीक्षण के समय हायॉइड बोन टूटी हुई पाई गई थी। तथापि मृत्यु के कारण की पुष्टि हेतु पेट, लीवर व किडनी एफ.एस.एल. जांच के हेतु भिजवाए गए। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.11 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मृत्यु बाबत राय अंकित नहीं है। इस प्रकार इस गवाह द्वारा जो उक्त साक्ष्य दी गई है, उससे यह तो माना जा सकता है कि प्रदर्श पी.11 में मृतका लेहरी की मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, परंतु जिस प्रकार की साक्ष्य मुख्य परीक्षण में दी गई है, उससे स्पष्ट है कि मृतका लेहरी की मृत्यु के लगभग 09 दिन बाद जब उसका शव बरामद हुआ, तब तक शव की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि चोटों के बारे में सही तौर पर राय दिया जाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी उन चोटों में एक चोट हायॉइड बोन का अंदर की ओर से टूटा होना उल्लेखित किया गया था। अनुसंधान के दौरान प्रदर्श पी.28 के माध्यम से पुनः राय मांगी गई, जिसमें यह बताया गया कि मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम से 5 से 10 दिन पूर्व हुई थी तथा हायॉइड बोन अंदर की तरफ से टूटी हुई थी। इस प्रकार जहाँ मृतका 80 वर्षीय वृद्ध महिला थी, जिसकी मृत्यु के काफी समय पश्चात् शव की बरामदगी हुई थी, जिसमें से बदबू आ रही थी और शरीर के अधिकांश पार्टस् सड़ और गल चुके थे। उस स्थिति में स्पष्टतया राय देना संभव भी नहीं था। यद्यपि विसरा की एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि मृतका लेहरी की हायॉइड बोन अंदर की तरफ से टूटी होना बताया गया है, उस वजह से मृत्यु होना संभव नहीं रहा हो। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.19 नेमीचंद ने भी साक्ष्य में यह बताया है कि मेडिकल ऑफिसर से मृत्यु बाबत स्पष्ट राय मांगी

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

गई थी, जिसमें एम.ओ. करेड़ा ने अपनी राय में बताया कि मृतका की मृत्यु 5 से 10 दिन पूर्व हुई तथा गले की हड्डी टूटने से मृत्यु होना पाया गया, जो प्रदर्श पी.28 में अंकित है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु का कारण भी उक्त साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

18. इस प्रकार उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला में यह प्रमाणित पाया गया है कि मृतका लेहरी बाई, जो 80 वर्षीय वृद्ध महिला होकर अकेली रहती थी और जिसकी कोई औलाद नहीं थी और उसके पड़ोस में ही अभियुक्त बाबूलाल परिवार सहित रहता था। दोनों के मकानों में अंदर से एक–दूसरे के मकान में आया व जाया जा सकता था। इस स्थिति का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसकी देखरेख व सेवा करते हुए उसे धोखे में रखा, गुवाड़ी गिरवी रखी होने की बात कहकर जेवर प्राप्त किए, तत्पश्चात स्टाम्प पर बेचाननामा भी करवा लिया और यह बात मृतका ने मृत्यु से पूर्व गाँव वालों के समक्ष कही थी। इसके कुछ समय पश्चात् मृतका अपने घर पर नहीं मिली, जबकि वह बिना लाठी के सहारे चल भी नहीं सकती थी। इस स्थिति में अभियुक्त बाबूलाल, जो निकट ही अलग हिस्से में रहता था, वह कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दे सका है। तत्पश्चात अभियुक्त बाबूलाल की स्वैच्छिक सूचना के आधार पर मृतका की लाश की बरामदगी हुई, जिसकी पहचान के पश्चात् मृतका के जेवरात भी अभियुक्त बाबूलाल की स्वैच्छिक इत्तला के आधार पर बरामद हुए। कथित स्टाम्प की भी बरामदगी हुई है। उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए, विद्वान विचार न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जो निष्कर्ष देकर अभियुक्त बाबूलाल की आरोपित अपराध में जो दोषसिद्धि की गई है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

19. अपीलार्थिनी रूकमणी के संदर्भ में भी विद्वान विचार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निष्कर्ष में उसे धारा 302, 380 एवं 460 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था, परंतु धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया था। इस स्थिति में यह स्पष्ट है

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् यह पाया था कि मृतका लेहरी की हत्या कारित करने और उसके जेवरात रखने में अपीलार्थिनी रूकमणी की भूमिका नहीं थी। इस प्रकार जहाँ हत्या कारित करने के मुख्य अपराध को ही प्रमाणित नहीं पाया गया है, तो इस स्थिति में धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के पश्चात् साक्ष्य का विलोपन करने की नियत से मृतका की लाश को छिपाने के अपराध में जो दोषसिद्धि की गई है, इस बाबत भी पी.डब्ल्यु.02 बंसीलाल ने मुख्य परीक्षण में कहा कि रूकमणी ने पंचायत में स्वीकार किया था कि वह लेहरी को मारने में शामिल थी, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध को उसके विरुद्ध प्रमाणित नहीं पाया है, और अपने निर्णय के पृष्ठ 18 पर यह भी उल्लेखित किया है कि– *पी.डब्ल्यु.01 भीमा, पी.डब्ल्यु.09 दल्ला, पी.डब्ल्यु.10 भंवरलाल, पी.डब्ल्यु.11 लादूलाल, पी.डब्ल्यु.14 रामचंद्र और अन्य गवाहान की आई साक्ष्य के साथ–साथ पी.डब्ल्यु.12 चांदी द्वारा अपने बयानों के मुख्य परीक्षण के दौरान किए गए इन कथनों से कि "बाबूलाल ने मेरे सामने व पुलिस वालों को बोला था कि मैंने अकेले ही मारा था।" तथा प्रकरण के अनुसंधानकर्ता गवाह पी.ड. 19 नेमीचंद द्वारा दिनांक 12.04.16 को की गई जिरह के दौरान पेज नंबर 3 पर अजखुद किए गए कथनों से कि "लाश बरामदगी से पहले मौके पर दौराने बरामदगी लाश समस्त ग्रामवासियों के बीच बाबूलाल ने मृतका की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने की बात को कबूल किया था।"* अतः इन किए गए कथनों के ही तहत मृतका लेहरी की हत्या करने में रूकमणी की सहभागिता प्रमाणित नहीं पाई गई और जेवरात हड़पने के आरोप भी उसके विरुद्ध प्रमाणित नहीं पाए थे। इसी कारण उसे धारा 302, 380 एवं 460 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया गया था। परंतु अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 19 पर मात्र यह अनुमान व्यक्त करते हुए निष्कर्ष दिया गया है कि अभियुक्त बाबूलाल द्वारा मृतका लेहरी की हत्या कारित करने के बाद उसकी लाश को खुर्दबुर्द करने के तहत वह अकेला ऐसा काम नहीं कर

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

सकता था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से रूकमणी भी रहती थी। लेकिन इस निष्कर्ष के पीछे अभिलेख पर ऐसी कोई ठोस साक्ष्य नहीं आई है, जिससे यह माना गया था कि अपीलार्थिनी रूकमणी ने साक्ष्य का विलोपन किए जाने से संबंधित धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अपराध में सहयोग किया था। क्योंकि प्रदर्श पी.23 जो सूचना केवल अभियुक्त बाबूलाल द्वारा स्वयं के संदर्भ में दी गई थी, जिसमें उसने कहा कि उसने मृतका लेहरी की हत्या कर लाश को बोरे में बंद करके चेनसुख जी के नोहरे में मिट्टी के नीचे छिपा दिया था। इस सूचना में सह–अभियुक्ता रूकमणी की किसी प्रकार की सहभागिता का उल्लेख नहीं है। जहाँ तक प्रदर्श पी.24 में जेवरात संबंधी सूचना का प्रश्न है, उस संदर्भ में भी विद्वान विचार न्यायालय ने धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध को रूकमणी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं पाया था। इस प्रकार साक्ष्य का विलोपन करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना प्रदर्श पी.23 ही थी, जो कि अकेले ही अभियुक्त बाबूलाल ने स्वयं के ही संदर्भ में पुलिस को दी थी। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.19 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.15 के तहत जो जेवरात जब्त किए, उनका रूकमणी से कोई संबंध नहीं है। प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.03, प्रदर्श पी.06 लगायत प्रदर्श पी.08, प्रदर्श पी.18 एवं प्रदर्श पी.19 पर रूकमणी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया कि इन दस्तावेजों पर रूकमणी के साइन इसलिए नहीं करवाए, क्योंकि वह मौके पर नहीं थी और उसका सीधा संबंध नहीं था। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श डी.01 पर अभियुक्ता रूकमणी के कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है। अतः साक्ष्य की इस स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थिनी रूकमणी को आरोपित अपराध धारा 302, 380 एवं 460 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के पश्चात् अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता में जो दोषसिद्धि की गई है, उसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप, अपीलार्थिनी रूकमणी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

20. अपीलार्थी बाबूलाल के योग्य अधिवक्ता को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 460, 380, 302 व 201 भारतीय दंड संहिता में सजा के बिंदु पर सुना गया। चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषसिद्ध अपराध में जो दंडादेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

21. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी अभियुक्त बाबूलाल की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दंडादेश दिनांक 17.03.2017 में अपीलार्थी अभियुक्त बाबूलाल की सीमा तक की गई उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

22. अपीलार्थिनी रूकमणी के संदर्भ में, उसके द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व दंडादेश दिनांक 17.03.2017 के माध्यम से धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई उसकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थिनी रूकमणी को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थिनी पूर्व से जमानत पर होने से उसकी उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23. अपीलार्थिनी रूकमणी को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ₹50,000 की राशि की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका 06 माह की अवधी के लिए इस शर्त के साथ प्रस्तुत करें कि यदि इस निर्णय में उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील होती है, तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएगी।

24. इस निर्णय की एक प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो।

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)

25. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2025 के द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता Ms. Adwaita Sharma को न्यायालय मित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा उक्त दोनों ही प्रकरणों में की गई सहायता की सराहना करते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त न्याय मित्र को देय पारिश्रमिक का विधिनुसार भुगतान करें। इस आदेश की एक प्रति राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J (VINIT KUMAR MATHUR),J

1-2-Rajendra/-

(Uploaded on 07/03/2026 at 12:52:00 PM)
(Downloaded on 07/03/2026 at 01:15:23 PM)